न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2015/03** दायर दिनांक **20.01.2015**

वादी		प्रतिवादीगण
1. भागुराम पुत्र स्व0 मेवाराम के वारिसान 1/1 पूसीदेवी पत्नी स्व0 भागुराम 1/2 प्रेमाराम पुत्र स्व0 भागुराम 1/3 रामदेव पुत्र स्व0 भागुराम 1/4 कलावती पुत्री स्व0 भागुराम 1/5 सुप्यार देवी पुत्री स्व0 भागुराम 1/6 पतासी देवी पुत्री स्व0 भागुराम 1/7 गीता देवी पुत्री स्व0 भागुराम समस्त जाति रेगर निवासी तोषिणा तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	**1.** घीसाराम पुत्र गोपालराम **2.** किरण उर्फ पप्पु पुत्री मोहनलाल **3.** कमला पुत्री स्व0 उरजाराम **4.** ग्यारसी पुत्री स्व0 उरजाराम **5.** चुका पुत्री स्व0 उरजाराम **6.** फुलीदेवी बेवा स्व0 प्रेमाराम **7.** माया पुत्री स्व0 प्रेमाराम **8.** पुनम पुत्री स्व0 प्रेमाराम **9.** कंचन पुत्री स्व0 प्रेमाराम सरंक्षक जरिये माता फुली देवी **10.** जयश्री पुत्री स्व0 प्रेमाराम नाबालिग जरिये सरंक्षक माता फुलीदेवी **11.** नन्दकिशोर पुत्र भोलुराम **12.** कमला पत्नी स्व0 हरीराम 12क— सुरेश पुत्री स्व0 हरिराम 12ख— राजेश पुत्री स्व0 हरिराम 12ग — फुलीदेवी पत्नी स्व0 लेखराज पुत्र स्व0 हरिराम **13.** भंवरलाल पुत्र रूघाराम **14.** संजोष पुत्री रूघाराम **15.** हेमाराम पुत्र नारायणराम **16.** गंगाराम पुत्र नारायणराम **17.** मदनलाल पुत्र नारायणराम **18.** पतासी पुत्री नारायणराम **19.** नेमीचन्द पुत्र केशाराम **20.** सुरेश पुत्र केशाराम **21.** राजु पुत्र केशाराम **22.** प्रकाश पुत्र केशाराम **23.** कालु पुत्र केशाराम **24.** शान्ति पत्नी स्व0 केशाराम **25.** भंवरी पुत्री स्व0 ज्ञानाराम **26.** लाडादेवी पुत्री स्व0 ज्ञानाराम **27.** बोदुराम पुत्र स्व0 ज्ञानाराम 27क— बाबुदेवी पत्नी स्व0 आसुराम 27ख— प्रकाश पुत्र स्व0 आसुराम 27ग— लाली पत्नी स्व0 शंकरलाल पुत्र स्व0 ज्ञानाराम समस्त जाति रेगर निवासी तोषिणा **28.** सोनीदेवी पत्नी स्व0 पदमाराम

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Original

Scanned by CamScanner

		29. मन्नाराम पुत्र स्व0 पदमाराम **30.** प्रेमाराम पुत्र पदमाराम **31.** घीसाराम पुत्र पदमाराम **32.** अकबर पुत्र नूर मोहम्मद **33.** अयुब पुत्र नूर मोहम्मद **34.** रूखसाना बानों पत्नी स्व0 इकबाल 34क– जाबिद अली 34ख– आबिद अली 34ग– हारून 34घ– सद्दाम 34ड– गुलजार 34च– सोनिया बानों पिसरान स्व0 इकबाल समस्त जाति मुसलमान निवासी तोषिणा **35.** भैरूराम पुत्र रामुराम **36.** जीवनराम पुत्र रामूराम समस्त जाति रेगर निवासीगण तोषिणा **37.** शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर **38.** मरूधरा ग्रामीण बैंक तोषिणा **39.** तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रेकर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री पूरणसिंह बोहरा, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री हारून अली अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01 ता 12

–ः <u>निर्णय</u> ः–

दिनांक 09.06.2017

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, ग्राम तोषिणा भू अभिलेख निरीक्षक तोषिणा में कृषि भूमि खसरा सं0 669 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 696 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं0 779 रकबा 18 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 713 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा तथा खसरा सं0 807 रकबा 16 बीघा 03 बिस्वा तथा खसरा सं0 792 रकबा 37 बीघा 03 बिस्वा बारानी प्रथम कुल खसरा 06 कुल रकबा 84 बीघा 08 बिस्वा कृषि भूमि अवस्थित है। जिसके वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 ता 36 काबिज काश्तकार है। प्रतिवादी सं0 12 से 36 प्रर्फोमा पक्षकार है जिनसे किसी प्रकार की रिलिफ नहीं चाही गई है। प्रतिवादी सं0 12 से 36 के हिस्से में खसरा सं0 792 रकबा 37 बीघा 03 बिस्वा में से 12 बीघा 10 बिस्वा को छोडकर समस्त पर प्रतिवादी सं0 12 से 36 का कब्जा काश्त है जो सम्पूर्ण खसरे का पश्चिमी भाग है। वादी भागुराम के दिनांक 13.06.2015 को स्वर्गवास होने से उनके वारिसान को रेकर्ड पर लिया गया।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2015/03
दायर दिनांक 20.01.2015, निर्णय दिनांक 09.06.2017
भागुराम बनाम घीसाराम, वगैरा।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प तोषीणा में पेश हुई। प्रार्थना वादी है कि वादी तथा प्रतिवादी सं0 01 ता 11 का कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हिस्सों के अनुरूप घोषित किया जावें:–

1. प्रतिवादी सं0 01 घीसाराम तथा प्रतिवादी सं0 02 किरण एवं प्रतिवादी सं0 06 लगायत 10 फुलीदेवी, माया, पुनम, कंचन, जयश्री, पुत्रीयां स्व0 प्रेमाराम के हिस्से में आई भूमिः– खसरा सं0 792 रकबा 37 बीघा 03 बिस्वा में से 12 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि पूर्वी हिस्सा, खसरा सं0 669 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं0 696 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण कृषि भूमि, खसरा सं0 713 का 10 बिस्वा मध्य भाग की भूमि कुल रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा में उक्त सभी के 1/3, 1/3, 1/3 भाग रहेगा।
2. वादी भागुराम के वारिसान के हिस्से व बंट की भूमिः– खसरा सं0 779 रकबा 18 बीघा 08 बिस्वा सम्पूर्ण कृषि भूमि तथा खसरा सं0 713 में से 11 बिस्वा कृषि भूमि पूर्वी भाग कुल रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा भूमि वादी के कब्जा काश्त की है।
3. प्रतिवादी सं0 11 नन्दकिशोर का हिस्सा :– खसरा सं0 807 रकबा 16 बीघा 03 बिस्वा में से 08 बीघा पूर्वी हिस्सा जो जरिये रजिस्ट्रड वेचान खरीद की है जिस पर नन्द किशोर का ही कब्जा काश्त है।
4. प्रतिवादी सं0 03 कमला, प्रतिवादी सं0 04 ग्यारसी, प्रतिवादी सं0 05 चुका के हिस्से की भूमिः– खसरा सं0 807 का शेष भू भाग अर्थात 08 बीघा 03 बिस्वा भूमि पश्चिमी हिस्सा एवं खसरा सं0 713 में से 11 बिस्वा भूमि पश्चिमी भाग कुल रकबा 08 बीघा 14 बिस्वा भूमि बंट व कब्जे काश्त की है जिस पर इन्ही का कब्जा काश्त रहेगा।
5. प्रतिवादी सं0 12 से 36 के हिस्से में आई भूमि :– खसरा नं0 792 रकबा 37 बीघा 03 बिस्वा में से 12 बीघा 10 बिस्वा को छोडकर शेष सम्पूर्ण भूमि 24 बीघा 13 बिस्वा पर सभी प्रतिवादीगण का अलग–अलग कब्जा काश्त है।

पक्षकारान उपरोक्त अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर सहमत है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। तत्सम्बधी विधि का अध्ययन् किया।

अधिवक्तागण पक्षकारान्, वादी के वाद को डिक्री किए जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं।

वादी के वाद को किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डित नहीं किया गया होने से वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादी द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2015/03
दायर दिनांक 20.01.2015, निर्णय दिनांक 09.06.2017
भागुराम बनाम धीसाराम, वगैरा।

आदेश

हस्ब जरिये दावा के नजरी नक्शाअनुसार डिक्री सादिर कर सरहद तोषीणा खसरा सं0 792 रकबा 37 बीघा 03 बिस्वा में से 12 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि पूर्वी हिस्सा, खसरा सं0 669 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं0 696 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण कृषि भूमि, खसरा सं0 713 का 10 बिस्वा मध्य भाग की भूमि कुल रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा में उक्त सभी के 1/3, 1/3, 1/3 भाग प्रतिवादी सं0 01 घीसाराम तथा प्रतिवादी सं0 02 किरण एवं प्रतिवादी सं0 06 लगायत 10 फुलीदेवी, माया, पुनम, कंचन, जयश्री, पुत्रीयां स्व0 प्रेमाराम के बंट व कब्जे काश्त, वादी भागुराम के वारिसान के हिस्से व बंट की भूमिः– वाकै सरहद तोषिणा के खसरा सं0 779 रकबा 18 बीघा 08 बिस्वा सम्पूर्ण कृषि भूमि तथा खसरा सं0 713 में से 11 बिस्वा कृषि भूमि पूर्वी भाग कुल रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा भूमि वादी के कब्जा काश्त की है। प्रतिवादी सं0 11 नन्दकिशोर का हिस्सा :– वाकै सरहद तोषिणा के खसरा सं0 807 रकबा 16 बीघा 03 बिस्वा में से 08 बीघा पूर्वी हिस्सा जो जरिये रजिस्ट्रड बेचान खरीद की है जिस पर नन्द किशोर का ही कब्जा काश्त है। प्रतिवादी सं0 03 कमला, प्रतिवादी सं0 04 ग्यारसी, प्रतिवादी सं0 05 चुका के हिस्से की भूमिः– वाकै सरहद तोषिणा के खसरा सं0 807 का शेष भू भाग अर्थात 08 बीघा 03 बिस्वा भूमि पश्चिमी हिस्सा एवं खसरा सं0 713 में से 11 बिस्वा भूमि पश्चिमी भाग कुल रकबा 08 बीघा 14 बिस्वा भूमि बंट व कब्जे काश्त की है जिस पर इन्ही का कब्जा काश्त रहेगा। प्रतिवादी सं0 12 से 36 के हिस्से में आई भूमि :– वाकै सरहद तोषीणा के खसरा नं0 792 रकबा 37 बीघा 03 बिस्वा में से 12 बीघा 10 बिस्वा पूर्वी हिस्सा को छोडकर शेष सम्पूर्ण भूमि 24 बीघा 13 बिस्वा पर सभी प्रतिवादीगण का अलग–अलग कब्जा काश्त है। उपरोक्तानुसार पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त करावे। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **09.06.2017** को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट तोषीणा में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2015/03 दायर दिनांक 20.01.2015

वादी		प्रतिवादीगण
1. भागुराम पुत्र स्व0 मेवाराम के वारिसान 1/1 पूसीदेवी पत्नी स्व0 भागुराम वगैराह जाति रेगर निवासी तोषीणा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. घीसाराम पुत्र गोपालराम वगैराह जाति रेगर निवासी तोषीणा तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रेकर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T.Act.

दिनांक 09.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री पूरणसिंह बोहरा, अधिवक्ता, वादी व श्री हाकम अली अधिवक्ता प्रति0 सं0 01 ता 11 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब जरिये दावा के नजरी नक्शाअनुसार डिक्री सादिर कर सरहद तोषीणा के खसरा सं0 792 रकबा 37 बीघा 03 बिस्वा में से 12 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि पूर्वी हिस्सा, खसरा सं0 669 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं0 696 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण कृषि भूमि, खसरा सं0 713 का 10 बिस्वा मध्य भाग की भूमि कुल रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा में उक्त सभी के 1/3, 1/3, 1/3 भाग प्रतिवादी सं0 01 घीसाराम तथा प्रतिवादी सं0 02 किरण एवं प्रतिवादी सं0 06 लगायत 10 फुलीदेवी, माया, पुनम, कंचन, जयश्री, पुत्रीयां स्व0 प्रेमाराम के बंट व कब्जे काश्त, वादी भागुराम के वारिसान के हिस्से व बंट की भूमिः– वाकै सरहद तोषिणा के खसरा सं0 779 रकबा 18 बीघा 08 बिस्वा सम्पूर्ण कृषि भूमि तथा खसरा सं0 713 में से 11 बिस्वा कृषि भूमि पूर्वी भाग कुल रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा भूमि वादी के कब्जा काश्त की है। प्रतिवादी सं0 11 नन्दकिशोर का हिस्सा :– वाकै सरहद तोषिणा के खसरा सं0 807 रकबा 16 बीघा 03 बिस्वा में से 08 बीघा पूर्वी हिस्सा जो जरिये रजिस्ट्रड बेचान खरीद की है जिस पर नन्द किशोर का ही कब्जा काश्त है। प्रतिवादी सं0 03 कमला, प्रतिवादी सं0 04 ग्यारसी, प्रतिवादी सं0 05 चुका के हिस्से की भूमिः– वाकै सरहद तोषिणा के खसरा सं0 807 का शेष भू भाग अर्थात 08 बीघा 03 बिस्वा भूमि पश्चिमी हिस्सा एवं खसरा सं0 713 में से 11 बिस्वा भूमि पश्चिमी भाग कुल रकबा 08 बीघा 14 बिस्वा भूमि बंट व कब्जे काश्त की है जिस पर इन्ही का कब्जा काश्त रहेगा। प्रतिवादी सं0 12 से 36 के हिस्से में आई भूमि :– वाकै सरहद तोषीणा के खसरा नं0 792 रकबा 37 बीघा 03 बिस्वा में से 12 बीघा 10 बिस्वा पूर्वी हिस्सा को छोडकर शेष सम्पूर्ण भूमि 24 बीघा 13 बिस्वा पर सभी प्रतिवादीगण का अलग–अलग कब्जा काश्त है। उपरोक्तानुसार पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 09.06.2017 को न्याय आपके द्वार कैम्प तोषीणा में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner